

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:- 223/12

दायर दिनांक:- 19.10.12

जीसीएमएस नं. 2012/00415

उनवान

बीरबल पुत्र किशोरी पुत्र सुआलाल निवासी टोडुपुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—वादीगण-04

बनाम

रामबक्शी पुत्र हुक्मी जाति मीना निवासी टोडुपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—प्रतिवादीगण-07

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 8/7/2024

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। अतः मुकदमा न0 223/12 बीरबल बनाम रामबक्शी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन, जिला करौली